

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 466/2025

श्री रोहिताश कुमार, हरिकृपा कोचिंग एण्ड साईन्स ऐकेडमी, वार्ड नं० 28, पो० मुकुन्दगढ, तहसील
नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333705, मो० नं० 9828308422

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 466/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4845-846 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू०अ०अ०/2025/394-395 दिनांक 14.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/393 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा सूचना से अवगत करवा दिया गया है। आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू०अ०अ०/2025/394-395 दिनांक 14.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना हाजा कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/393 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा सूचना से अवगत करवा दिया गया है। आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। चूंकि प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड जिला अभिलेखागार, झुंझुनूं में जमा करवाया जा चुका है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी जिला अभिलेखागार से नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं